

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम


चित्तौड़गढ़ (राज.)

करासिंह

बनाम

देवीसिंह

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 203/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
21.5.25	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती करासिंह</p> <p>पिता श्री अंबरसिंह नाबालिगजरमे संरक्षण माता भिड़्डु डेवर</p> <p>निवासी श्रीमपुरिया, तह. बरसी (OR) तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम श्रीमपुरिया</p> <p>स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 71, 72, 73, 74</p> <p>0.09, 0.27, 0.36, 1.36</p> <p>कुल कीता 04 कुल रकबा 2.08 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम श्रीमपुरिया बरसी (OR) स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 71, 72, 73, 74</p> <p>0.09, 0.27, 0.36, 1.36</p> <p>कुल कीता 04 रकबा 2.08 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 1000 रुपये अक्षरे 15 हजार मात्र प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">   (बीनू देवल)  सहायक कलक्टर एवं  उपखण्ड अधिकारी  चित्तौड़गढ़ (राज.) </p>